न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 142/2024

1. प्रेमकुमार पुत्र मदनलाल जाति सुथार साकिन 13 एस टी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. संजयकुमार पुत्र मदनलाल जाति सुथार साकिन 13 एस टी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— प्रार्थी

–:बनाम:–

1. गोपीराम पुत्र बलवन्तराम जाति जाट साकिन मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. घनश्याम पुत्र बलवन्तराम जाति जाट साकिन मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागढ़ राजस्थान।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री जसपाल सिंह दहिया	प्रार्थीगण
2.	श्री अनिल सिहाग	अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21/10/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 252–क रा.का.अधि के तहत प्रार्थीगण की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सही पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में सही अंकित है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 बी आर पी (भाखड़ा) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 59/68 प.न. 12/357 मु.न. 5 कि.न. 13 ता 20, 24, 25 की कुल 2.5300 हैं. नाली प्रथम खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी न. 1 के नाम 1/2 हिस्सा व प्रार्थी न. 2 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोक नार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 बी आर पी (भाखड़ा) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 64/49 प.न. 12/357 मु.न. 5 कि.नं. 3/1/0.2280, 3/2/0.0250रास्ता, 4/1/0 2280, 4/2/0.0250 रास्ता, 5/1/0.2150, 5/2/0.0250रास्ता, 6[illegible] की कुल 2.5170 हैं. नाली प्रथम मय गैर मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 के नाम 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी न. 2 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:56 IST
Reason: SelfAttested

तहसील पीलीबंगा का चक 4 बी आर पी (भाखड़ा) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 108/81 प.न. 12/357 मु.न. 5 कि.न. 1/1/0.2280, 1/2/0.0250रास्ता, 2/1/0. 2280, 2/2/0.0250 रास्ता, की कुल

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

0.5060 हैक्ट. वाली प्रथम मय गैर मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में कि.न. 1/2 व 2/2 में रास्ता दर्ज है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एवं आम जान हेतू चालू गै. मु. रास्ता है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू मय अपने ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाड़ी आदि व पैदल चल कर अप्रार्थी न. 1 व 2 की उक्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा का चक 4 बी आर पी (भाखड़ा) का प.न. 12/357 मु.न. 5 कि.न. 5/0.0250, 6/0.0250, कुल 0.0500 है. में से दो बीघा लम्बा व दो विस्वा चौड़ा रास्ता चालू है। जो इसी प.नं. 12/357 का कि.नं. 5, 6 के प्रत्येक बीघा में 2 – 2 बिस्वा चौड़ा जो मौका पर उत्तर–दक्षिण 2 बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता चालू है। जो कि उक्त प.न. 12/357 कि. न. 1 ता 5 के प्रत्येक बीघा में मौका पर स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता जो पूर्व – पश्चिम 5 बीघा लम्बा व उत्तर दक्षिण 2 बिस्वा चालू रास्ता में मिलता हुआ रास्ता है। जिसमें से होकर प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में काफी लम्बे समय से बतौर रास्ता आना जाना करता आ रहे हैं। जिसे प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। चुंकि उक्त चाहा गया रास्ता का उपयोग प्राथीगण भी करते चले आ रहे हैं इस लिये प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत में आने वाली 0.0500 है. का 1/2 हिस्सा यानि 0.0250 है. अप्रार्थी न. 1 व 2 को ब. हिस्सा बराबर बराबर रास्ता स्वीकृत करवाने के एवज में हमारी भूमि में से अप्रार्थीगण के मिलती हुई भूमि देने को तैयार हैं। इसके साथ ही इसी के अनुरूप श्री मान जी के अन्य आदेश की पालना के लिये भी प्रार्थीगण तैयार रहेंगे। जबकि प्रार्थीगण को चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता की सुविधा प्राप्त नहीं है।

यह कि तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को अप्रार्थी न. 5 भू–धारक होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है ताकि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का नुकस ना रहे।

यह कि प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे।

(क) कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 बी आर पी (भाखड़ा) का प.न. 12/357 मु.न. 5 कि.न. 5/0.0250, 6/0.0250, कुल 0.0500 है. को गै. मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जो इसी प.नं. 12/357 का कि.नं. 5, 6 के प्रत्येक बीघा में पर मौका पूर्व दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 2 बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता चालू है। जिसे गै. मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिसता की रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गए।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अनिल सिहाग अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है जो शामिल मिसल है दिनांक 16.10.24 को अधिवक्ता उभय पक्ष हाजिर आये एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण [illegible] शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं राजीनामा में तथ्य इस प्रकार से [illegible] का राजीनामा निम्न प्रकार से है। यह कि प्रार्थी न. 1 व 2 एंव [illegible] वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का चाहा गया [illegible] रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाबत लोक अदालत की भावना से आपस में निम्न प्रकार से [illegible]नामा हो गया है। ता कि विवाद आगे ना बढ़े व स्थाई शान्ति बनी रहे । पक्षकारान आज श्री मान जी के न्यायालय / लोक अदालत में अपने पहचान के आधार कार्ड आदि सबूतों के साथ अपना राजीनामा तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

करवाने हेतू हाजिर हैं। राजीनामा स्वीकार किया जावे। व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर निम्न प्रकार से चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जो कि मौका पर रास्ता आने जाने हेतू चालू है।

(क) कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 बी आर पी (भाखड़ा) का प.न. 12/357 मु.न. 5 कि.न. 5/0.0250, 6/0.0250, कुल 0.0500 है. को गै. मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जो इसी प.नं. 12/357 का कि.नं. 5, 6 के प्रत्येक बीघा में मौका पर पूर्व दिशा की सींव पर उत्तरदृदक्षिण 2 बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता चालू है। जिसे गै. मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।
(ख) कि उक्त अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता का उपयोग अप्रार्थी न. 1 व 2 भी करेंगें जिससे रास्ता में अप्रार्थी न. 1 व 2 की आने वाली कृषि भूमि 0.0500 है. में से 1/2 हिस्सा यानि 0.0250 है. कृषि भूमि प्रार्थीगण, अप्रार्थी न. 1 व 2 को ब. हिस्सा बराबर बराबर देगें कि उक्त चक 4 बी आर पी (भाखड़ा) का प.न. 12/357 मु.न. 5 कि.न. 15 में से 0.0110 है. कृषि भूमि प्रार्थी न. 1 व 2 अप्रार्थी नं. 1 व 2 को ब. हिस्सा बराबर बराबर दी जावे। जो इसी कि.न. 15 की पश्चिम दिशा की सींव पर से कि.न. 6 से चिपती हुई उत्तर–दक्षिण 8 फुट चौड़ी व पूर्व – पश्चिम 148 फुट 6 इन्च लम्बी कृषि भूमि है व इसी प.न. 12/357 का कि.न. 13 में से 0.0140 है. कृषि भूमि प्रार्थी न. 1 व 2 ने अप्रार्थी न. 1 व 2 को ब. हिस्सा बराबर बराबर दी है जो इसी कि.न. 13 की पश्चिम दिशा की सींव पर पूर्व–पश्चिम 1÷ बिस्वा चौड़ी व उत्तर–दक्षिण 1 बिघा लम्बी कृषि भूमि कि.न. 12 से चिपती हुई है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी न. 1 व 2 के नाम ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज की जावे।

अतः प्रार्थी न. 1 व 2 अप्रार्थी न. 1 व 2 का उक्त अनुसार लिखित में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किया जावे एंव रास्ता के एवज में राजीनामा में पक्षकारान को दी गई कृषि भूमि का उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जिसका प्रार्थी न. 1 व 2 व अप्रार्थी न. 1 व 2 को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 731 दिनांक 10.10.24 से प्राप्त हुई है शामिल वाद है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 4 बी.आर.पी. (भाखड़ा) के प.नं. 12/357(5) कि.नं. 5, 6 में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा 0.025 हैक्ट. रास्ता चाहा गया है। मौका पर कि.नं. 5 में पुरा, 6 में 2 कच्चे कमरों तक रास्ता चालू है । राजस्व रिकॉर्ड अनुसार समस्त भू–धारकों को पक्षकारान् बनाया गया है। प्रार्थीगण को चाहे जाने वाले रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे कम दूरी का है । प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता (स्वीकृ शुद्धा) मौके पर नही लगता है।

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के राजीनामा एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के [illegible]सार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा